उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स Corporate Tax

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No. – 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिशा–निर्देशः 11 /उ0म0प्र0/का0टैक्स/2018/ दिनांक 26/09/2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषयः– GST-TDS से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 50/2018–Central Tax के अनुसार दिनांक 01.10.2018 से GST-TDS के प्रावधान लागू होंगे, अतः दिनांक 01.10.2018 से किये जाने वाले समस्त भुगतानो पर प्रावधान अनुसार GST-TDS काटकर शासकीय खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरण जहां विक्रेता/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारो की अनुबंध राशि रू0 2.50 लाख से अधिक है, दिनांक 01.10.2018 के बाद उनके प्रत्येक भुगतान अथवा लेखो में प्रवृष्टि (जो पहले हो) पर 2% GST-TDS (1% CGST एवं 1% UP-SGST अथवा 2% IGST जो लागू हो) काटना अनिवार्य है। ज्ञात हो GST-TDS दिनांक 01.10.2018 के बाद किये जाने वाले भुगतानो पर काटा जायेगा अतः इसका बीजक के दिनांक से कोई सम्बन्ध नही है।

GST-TDS सिर्फ पंजीकृत विकेता/सेवा प्रदाताओं के बीजको के भुगतान के समय काटा जायेगा। अपंजीकृत विकेता/सेवा प्रदाताओं अथवा ऐसे विकेता/सेवा प्रदाताओं जिन पर Reverse Charge Machanism लागू होता है, उनके बीजको के भुगतान के समय GST-TDS नही काटा जायेगा।

ज्ञात हो कि रू0 2.50 लाख रूपये की सीमा प्रति अनुबंध है न कि प्रति वर्ष उदाहरण के तौर पर किसी एक कार्यदायी संस्था से एक वित्तीय वर्ष में 01 लाख रूपये के 4 अनुबंध किये जाते है, ऐसी स्थिति में भुगतान राशि भले ही रू0 2.50 लाख की सीमा को पार करती है परन्तु प्रति अनुबंध की राशि रू0 2.50 लाख से कम है, अतः इस स्थिति में GST-TDS नही काटा जायेगा।

2% GST-TDS बीजक में GST लगाने से पूर्व की राशि (Gross Value) पर निम्न प्रकार से काटा जायेगाः–

Gross Value of Goods/Services/or Both (Including all incidental expenses but before GST)	A
CGST/SGST/IGST	B
Total Value of Invoice	A+B
GST-TDS to be deducted on Value 'A'	

नियमानुसार GST-TDS की राशि को अगले माह के 10 तारीख तक सरकार के खाते में जमा करते हुए रिटर्न फाइल करना होगा। समयवार राशि जमा न करने पर 18% ब्याज देय होगा। तदनुसार इकाईयॉ अगले माह की 5 तारीख तक TDS राशि का भुगतान सरकार के खाते में पृथक चालान के द्वारा कराना सुनिश्चित करें।

नियमानुसार GST-TDS की राशि को अगले माह के 10 तारीख तक सरकार के खाते में जमा करते हुए रिटर्न फाइल करना होगा। समयवार राशि जमा न करने पर 18% ब्याज देय होगा। तदनुसार इकाईयॉं अगले माह की 5 तारीख तक TDS राशि का भुगतान सरकार के खाते में पृथक चालान के द्वारा कराना सुनिश्चित करें।

राशि जमा करने की तिथि के 5 दिन के भीतर विक्रेता/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारो को TDS Certificate जारी करना होगा। समय सीमा के भीतर TDS Certificate जारी न करने पर 100 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय होगा। TDS Certificate जारी करने की प्रकिया पर शासकीय स्तर से स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध नही है, अतः प्रकिया का स्पष्टीकरण शासकीय स्तर से उपलब्ध होते ही इकाईयों को ससमय सूचित कर दिया जायेगा।

चूंकि रिटर्न केन्द्रीय स्तर पर 10 तारीख तक दाखिल किया जाना अपरिहार्य है, अतः GST-TDS नियमो का समयवार अनुपालन करने के लिए इकाईयां परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से GST-TDS से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में अगले माह की 5 तारीख तक मुख्यालय स्थित GST Cell को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Sl. No	GSTIN of the Deductee	Trade Name	Amount paid to the Deductee on which tax is deducted	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Total

भवदीय,

(पी0के0 गुप्ता)
सलाहकार(टैक्स)

दिशा–निर्देशः 11/उ0म0प्र0/का0टैक्स/2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
- उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु पृथक दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

2– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3– उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।
4– उप महाप्रबन्धक (का0 लेखा) को इस आशय के साथ प्रेषित कि Current liability के अन्तर्गत GST-TDS-CGST, GST-TDS-SGST, GST-TDS-IGST हेतु तीन अलग लेखा शीर्ष खुलवाना सुनिश्चित करें।
5– उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6– उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7– अनु सचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8– अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(पी0के0 गुप्ता)
सलाहकार(टैक्स)